UPMP040140682026

न्यायालय J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SMT. PREETI SHUKLA) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04691**

Bail Application/2679/2026

State Of U.P Vs. Ravindra Pal urf Rajkumar and others

अपराध सं०-125/2026
अ०धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना - बिछवां, जिला - मैनपुरी।

दिनांक-25.05.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण रविन्द्र पाल उर्फ राजकुमार पुत्र स्व० केहरी सिंह निवासी अंगदपुर थाना सकीट जिला एटा व महेश चन्द्र पुत्र भगवान सिंह निवासी सबलपुर थाना सकीट जिला एटा ने अ०संख्या–125/2026 अंतर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना–बिछवां, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को असत्य एवं बनावटी आधार पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। अभियुक्तगण से बरामदगी नहीं हुयी है। थाना पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से बनावटी घटना बनायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से मुकदमा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। प्रार्थीगण जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से जमानत पर आपत्ति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण रविन्द्र पाल उर्फ राजकुमार व महेश चन्द्र अ०संख्या–125/2026 अंतर्गत धारा–3/25 **आर्म्स एक्ट** थाना–बिछवां, जिला मैनपुरी के मामले में अभियुक्तगण है।

अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण जमानत का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाना का आधार पर्याप्त है। मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए निम्न शर्तो के अधीन अभियुक्तगण को जमानत का पर्याप्त आधार है, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

1. अभियुक्तगण जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
2. अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात पुनः इस तरह के आपराधिक क्रिया–कलाप में सम्मिलित नहीं होंगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

आदेश

अभियुक्तगण रविन्द्र पाल उर्फ राजकुमार व महेश चन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को 40,000/-रू का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रीति शुक्ला)
अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
कोर्ट संख्या-5, मैनपुरी